आवश्यक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक – न.नि.-50-24/2022 4342

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

पटना, दिनांक- 22.9.22

विषयः नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 –नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा सतर्कतापूर्वक करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के क्रम में तीनों पदों के लिए अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त एवं संवीक्षा की जा रही है। निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की, की जा रही संवीक्षा के संबंध में आयोग के पास निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 2986 दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है। निर्वाची पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के क्रम में उन दिशा–निदेशों को आलोक में ही संवीक्षा का कार्य सम्पादित करेंगे। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा के क्रम में किसी असारवान आधार पर अस्वीकृत न किया जाए, इसके लिए निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन के समय निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-

1. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नगरपालिका के आकार को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में 'अभ्यर्थी सहायता केन्द्र' 'हेल्प डेस्क' की स्थापना की जानी चाहिए तथा इस हेल्प डेस्क पर नामांकन के संबंध में प्रशिक्षित कुशल पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि अभ्यर्थी के नामांकन पत्र की विस्तृत रूप से प्रथम स्तरीय जाँच की जा सके।
2. निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन के समय यदि अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नामांकन पत्र में अपेक्षित सुधार कर नामांकन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा। इस संबंध में आयोग के पत्रांक 2986 दिनांक 02.08.2022 के परिशिष्ट–1 में संलग्न चेकलिस्ट में विवरण भरते हुए एक प्रति अपने पास रखकर नामांकन पत्र अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा।
3. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ–साथ सभी अनुलग्नकों को सही प्रतियाँ प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी अपने सुचनापट्ट पर नामांकन पत्र सहित सभी अनुलग्नकों की एक प्रति अवश्य प्रदर्शित करें ताकि कोई भी अभ्यर्थी नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्रों को इतर किसी अन्य प्रपत्र में नामांकन पत्र न दाखिल कर पाए। फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपना

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

नामांकन करते समय आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र से इतर प्रपत्र में अपना नामांकन करता है तो अभ्यर्थी की 'हेल्प डेस्क' पर ही सही प्रपत्र में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी उसी प्रपत्र में नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके नामांकन पत्र को उसी रूप में प्राप्त किया जाएगा।

अनुरोध है कि आयोग के उक्त निदेश से सभी संबंधितों को अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

22/10/22

सचिव

ज्ञापांक - न.नि.-50-24/2022 4342 पटना, दिनांक- 22.9.22

प्रतिलिपिः आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

22/10/22

सचिव

ज्ञापांक - न.नि.-50-24/2022 4342 पटना, दिनांक- 22.9.22

प्रतिलिपिः सभी निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/22

सचिव

ज्ञापांक - न.नि.-50-24/2022 4342 पटना, दिनांक- 22.9.22

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/22

सचिव